

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग


क्रमांक-प. 9(3)कार्मिक/क-2/2008पार्ट

जयपुर दिनांक: 31.12.2020

आज्ञा

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय श्री मातादीन शर्मा, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 को एक वर्ष की कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का सदस्य नियुक्त करते हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ। कृपया संबंधित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करे।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, मिनी सचिवालय, जयपुर
8. श्री मातादीन शर्मा, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0, सदस्य, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त /जिला कलक्टर ।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रकाशनार्थ ।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव

70/2020

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग


क्रमांक-प. 9(3)कार्मिक/क-2/2008पार्ट

जयपुर दिनांक: 31.12.2020

आज्ञा

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय श्री जगरूप सिंह यादव, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 को एक वर्ष की कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का सदस्य नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ। कृपया संबंधित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, मिनी सचिवालय, जयपुर
8. श्री जगरूप सिंह यादव, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0, सदस्य, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त /जिला कलक्टर ।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रकाशनार्थ ।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव